न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ दिनांक 10.05.2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 45 / 2025
निर्णय दिनांक : 10.05.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 85 दायर दिनांक – 25.02.2025

1. कन्हैयालाल पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन हाल निवासी ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. रणवीरसिंह पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन हाल निवासी ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री हरीशचन्द्र पारीक उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थाई निवासी है जिनके रोही ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ के खेत खाता संख्या 217 के खसरा संख्या 443 / 76 रकबा 9.2940 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 10.1792 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 19.4732 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है।

प्रार्थीगण के पिता शेराराम के देहान्त के बाद वारीसान का नाम अंकित करते समय प्रार्थी संख्या 01 का बोलता नाम कानाराम पुत्र शेरा व प्रार्थी संख्या 02 का बोलता नाम रणजीतराम पुत्र शेरा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया तथा प्रार्थीगण का निवास भी लाडनूं अंकित हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी संख्या 01 का सही व वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र शेराराम व सही पता ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ तथा प्रार्थी संख्या 02 का वास्तविक नाम रणवीरसिंह पुत्र शेराराम व सही पता ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थीगण का खेत रोही ग्राम गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम कानाराम पुत्र शेराराम व प्रार्थी संख्या 02 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम रणजीतराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी लाडनूं दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 01 के दस्तावेजों में नाम कन्हैयालाल पुत्र शेराराम व प्रार्थी संख्या 02 के दस्तावेजों में नाम रणवीरसिंह पुत्र शेराराम निवासी गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ दर्ज है। कानाराम व कन्हैयालाल तथा रणजीतराम व रणवीरसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कन्हैयालाल पुत्र शेराराम तथा रणवीरसिंह पुत्र शेराराम निवासीगण गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थीगण का नाम कन्हैयालाल पुत्र शेराराम व रणवीरसिंह पुत्र शेराराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ के खेत खाता संख्या 217 के खसरा संख्या 443/76 रकबा 9.2940 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 10.1792 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 19.4732 में दर्ज खातेदार कानाराम पुत्र शेरा जाति मेघवाल निवासी लाडनूं व रणजीतराम पुत्र शेरा जाति मेघवाल निवासी लाडनूं खातेदार के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी गनोड़ा व रणवीरसिंह पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी गनोड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़